(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 721–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश, दिनांक 5–12–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 214/निगरानी/10–11.

1 दशरथ सिंह आ0 श्री बद्री प्रसाद
2 सुशीलाबाई पत्नी श्री बद्री प्रसाद
दोनों निवासीगण बटीं नगर हसनाबाद रोड
विदिशा जिला विदिशा ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1 बद्रीप्रसाद आ0 श्री हरीराम
2 श्यामलाल आ0 श्री हरीराम
निवासीगण ग्राम गनेशपुर तहसील गुलाबगंज
जिला विदिशा ..... अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह ठाकुर अभिभाषक, आवेदक
श्री कमल सिंह राजपूत, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10.8.16 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 214/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांकें 7–2–2013 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारस के प्रकरण कमांक 52/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 11–2–11 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जिसके साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया । दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन निरस्त करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । आवेदकगण की ओर से यह तर्क दिए गए हैं कि राजस्व मंडल द्वारा निगरानी प्र0क0 1390–एक/99 में पारित आदेश दिनांक 7–2–2005 द्वारा प्रकरण एस.डी.ओ. को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वे प्रकरण को समयसीमा में मानते हुए गुणदोष पर आदेश पारित करें किंतु एस.डी.ओ. द्वारा पूर्व प्रकरण में कार्यवाही न करते हुए नया प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकों को सुनवाई का नियमानुसार अवसर दिए बिना अपील स्वीकार की गई । इस आदेश की कोई जानकारी आवेदकों को नहीं हो सकी । आवेदकों ने जानकारी प्राप्त होने के दिनांक से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि में निगरानी पेश की थी जिसे समयावधि बाह्य मानने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकों द्वारा आवेदकों की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथपत्र का कोई खंडन नहीं किया गया था अतः अधीनस्थ न्यायालय को आवेदनपत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि जिस पते पर एस.डी.ओ. ने सूचनापत्र भेजे थे उस पते पर आवेदकगण निवास नहीं करते हैं इस तथ्य की अनावेदकों को भी जानकारी थी । अनावेदकों द्वारा जानबूझकर अखबार में सूचनापत्र का प्रकाशन कराया गया । अंत में यह कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि धारा 5 के आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने के कारण आवेदक न्याय से वंचित हो जायेंगे ।,

4/ अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सूचना आवेदकों को दी तथा समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन कराया लेकिन इसके बावजूद आवेदकगण अनुपस्थित रहे ऐसी स्थिति में आवेदकों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि सही पते पर सूचनापत्र नहीं पहुंचाया गया । आवेदकगण मात्र अनावेदकों को परेशान करना चाहते हैं । व्यवहार न्यायालय में भी उनके द्वारा दावा दायर किया गया था जिसमें कोई सहायता आवेदकों को प्राप्त नहीं हुई । उक्त आधारों पर निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । आलोच्य आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राजस्व मंडल से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर पक्षकारों को आहूत किया गया तथा आवेदकों को सूचना तामील नहीं होने पर उन्हें उपस्थित होने हेतु दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 01–12–2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई किंतु वे उपस्थित नहीं हुए पुनः उनको एक अवसर दिया गया फिर भी उपस्थित नहीं हुए इस कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में दिनांक 24.12.10 को तर्क सुनकर 11.2.11 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । उक्त कारणों से अपर कलेक्टर ने आवेदकों द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को निरस्त करते हुए निगरानी को अवधि बाह्य होने से निरस्त किया गया है । अपर कलेक्टर का आदेश अभिलेख पर आधारित है । प्रकरण में आए तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर